

समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जिले में समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

- ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे।
- आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।
- आवेदिका चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किये हो।
- आवेदिका जमुई जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- आवेदिका रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सही-सही ऑनलाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के अगले 21 दिनों तक कर सकते हैं।

उम्र : चयन वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।

शारीरिक स्वस्थता : अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े।

- विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधि प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियों तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। उपरोक्त कागजात के साथ ऑनलाईन प्रति के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी, जमुई को भेजना होगा।

ऑगनबाड़ी सेविका से नियुक्ति :-

प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिये जायेंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाड़ी सेविका को क्रमशः 10 एवं 05 अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इण्टर/स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्रमशः 10 बोनस अंक या 05 बोनस अंक या 03 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी ! यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

सेविकाओं हेतु रोस्टर के अनुरूप रिक्तियों :

नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक-26.02.2019 के अनुसार जिला स्तर पर संघारित आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य वनाम बिहार सरकार राज्य एवं अन्य से संबंधित सभी मामलों में दिनांक-20.06.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुये बिहार आरक्षण अधिनियम 18, 2023 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 19, 2023 को **Set aside** कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No-014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024, 014430/2024 दायर किया गया है जिसमे पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर नियोजन प्रक्रिया की जा रही है।

कोटि	बैकलॉग	रिक्ति	कुल रिक्ति
अनुसूचित जाति	1	2	3
अनुसूचित जन जाति	—	1	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	1	1
पिछड़ा वर्ग	—	1	1
पिछड़े वर्गों की महिला	—	1	1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	1	1
अनारक्षित वर्ग	—	4	4
कुल योग	1	11	12

24/09/24
जिला पदाधिकारी
जमुई।

नरों से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

दिनांक 03/12
दिनांक -16/1



समाहरणालय, जमुई
(प्रोग्राम शाखा)
(आईसीडीपीएसी)

विज्ञापन सं-01/2024
ईमेल-dpb.jcdis.jumai-bih@gov.in मोबाईल - 9431005056

समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापक-1848 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

- आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समाप्त कर सकेंगे।
- आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।
- आवेदिका चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किये हो।
- आवेदिका जमुई जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- आवेदिका रिक्त पदों पर नियोजन हेतु राही-राही ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के अगले 21 दिनों तक कर सकते हैं।
- उम्र - चयन वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।
- शारीरिक स्वस्थता : अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े।
- विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस अवश्य का अडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियुक्ति मिलने का दावा नहीं करेंगे। उपरोक्त सामजात को साथ ऑनलाइन प्रति के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी, जमुई को भेजना होगा।

आंगनबाड़ी सेविका से नियुक्ति -

प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिये जायेंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी सेविका का क्रमशः 10 एवं 05 अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्कृतर परीक्षा (द्विपत्र/स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्रमशः 10 बीएस अंक या 05 बीएस अंक या 03 बीएस अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी। यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

सेविकाओं हेतु सेक्टर के अनुरूप रिक्तियाँ :

नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार स्टेटा के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक-26.02.2019 को अनुसार जिला स्तर पर संघारित आरक्षण सेक्टर प्रभावी होगा एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-16780/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार, राज्य एवं अन्य से संबंधित सभी मामलों में दिनांक-20.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर्ते हुये बिहार आरक्षण अधिनियम 18, 2023 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 19, 2023 को Set aside कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C)/No-014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024, 014430/2024 दायर किया गया है जिसमें पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर नियोजन प्रक्रिया की जा रही है।

कोटि	बैकलॉग	रिक्ति	कुल रिक्ति
अनुसूचित जाति	1	2	3
अनुसूचित जन जाति	-	1	1
अल्पमत पिछड़ा वर्ग	-	1	1
पिछड़ा वर्ग	-	1	1
पिछड़े वर्गों की महिला	-	1	1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	1	1
अनारक्षित वर्ग	-	4	4
कुल योग	1	11	12

विरुद्ध जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

PR- 010356 (5 W 13) 2024-25

नरों की भार, बर्बाद कर सुखी परिवार।

जिला पदाधिकारी
जमुई।